केनरा बैंक Canara Bank

Ref :: MD&CEO:SD:736/737 /11/12::2019 18.10.2019

The Vice President **The Bombay Stock Exchange Ltd.** **Phiroze Jeejeebhoy Towers** **Dalal Street,** **MUMBAI – 400 001**	**The Vice President** **Listing Department** **National Stock Exchange of India Ltd** **EXCHANGE PLAZA** **Bandra-Kurla Complex, Bandra [E]** **MUMBAI 400051**

Dear Sir/Madam,

Sub: Canara Bank- Postal Ballot Notice
Ref: Disclosure under SEBI (LODR) Regulations, 2015

We refer to our letter MD&CEO:SD:675 / 676 /11/12::2019 dated September 13, 2019, informing the Exchange about Board approval for Capital infusion by Government of India (GOI) & obtaining shareholders approval through Postal Ballot process for issue of equity shares to Government of India (GOI) on preferential basis.

We hereby enclose the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form, for seeking the approval of the shareholders of the Bank by way of Special Resolution as under:

To create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs.10/- each to the GOI, aggregating to Rs. 6571 crore on preferential basis inclusive of premium for cash at an issue price to be determined in accordance with SEBI (ICDR) Regulations, 2018

Bank is also providing e-voting facility to the shareholders for voting on the Special Resolution at www.evoting.karvy.com.

E-voting Start Date & Time E-voting End Date & Time	9.00 a.m. on Friday, the October 25, 2019 5.00 p.m. on Saturday, the November 23, 2019
Last Date by which Postal Ballot Form shall reach to Scrutinizer/ E-Voting Last Date	5.00 p.m. on Saturday, the November 23, 2019

Notice of postal ballot and the postal ballot forms are also available on Bank's website i.e., www.canarabank.com.

This is for your information & appropriate dissemination.

Yours faithfully,
For CANARA BANK

सहायक महा प्रबंधक और कंपनि सचिव
Assistant General Manager & Company Secretary
VINAY MOHTA
COMPANY SECRETARY

केनरा बैंक CANARA BANK सचिवालय विभाग, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर - 560 002 Secretarial Dept., H.O., Bangalore-2

सचिवीय विभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सचिवालय
प्रधान कार्यालय
112, जे सी रोड बेंगलूर - 560002

Secretarial Department
MD & CEO's Secretariat
Head Office
112 J C Road, Bangalore - 560002

T +91 80 22100250
F +91 80 22248831
E-Mail - hosecretarial@canarabank.com

पोस्टल बैलट नोटिस
POSTAL BALLOT NOTICE

ई-वोटिंग / संवीक्षक द्वारा पोस्टल बैलट फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि :

शनिवार, 23 नवंबर, 2019

Last Date by which Postal Ballot Form shall reach to Scrutinizer / E-Voting Last Date :

Saturday, 23rd November, 2019

ई-वोटिंग समयावधि / E-Voting Period

शुक्रवार, 25 अक्तूबर, 2019 से शनिवार, 23 नवंबर, 2019 तक

Friday, 25th October, 2019 to Saturday, 23rd November, 2019

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank
(A Government of India Undertaking)
Together We Can

सचिवीय प्रभाग
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी का सचिवालय, प्रधान कार्यालय, 112, जे.सी.रोड, बेंगलूरु - 560002

Secretarial Department
MD & CEO's Secretariat Head Office, 112, J.C. Road, Bengaluru - 560002
Email : hosecretarial@canarabank.com

विषय सूची / CONTENTS

	पृष्ठ सं. / Page No.
नोटिस / NOTICE	1
नोट्स / NOTES	4
ई-वोटिंग की प्रक्रिया / PROCEDURE FOR E-VOTING	5
व्याख्यात्मक विवरण / EXPLANATORY STATEMENT	8
हरित पहल- शेयरधारकों से अपील / GREEN INITIATIVE- APPEAL TO SHAREHOLDERS	11

केनरा बैंक Canara Bank

प्रधान कार्यालय, 112, जे. सी. रोड, बेंगलूर
कर्नाटक - 560002

पोस्टल बैलट नोटिस

प्रिय शेयरधारक (कों),

सेबी (सूची बद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के समय - समय पर यथा संशोधित विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (कुछ समय के लिए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: प्रवर्तन सहित) के नियम 22 के अनुसरण में एतदद्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात ''ई - वोटिंग'' द्वारा वोटिंग सहित पोस्टल बैलट द्वारा विशेष संकल्प पारित करने के लिए केनरा बैंक (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त करने हेतु नोटिस दिया जाता है।

तात्विक तथ्यों और उनके कारणों का उल्लेख करने सम्बंधी प्रस्तावित विशेष संकल्प और व्याख्यात्मक विवरण संलग्न हैं।

बैंक ने न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलट प्रक्रिया संचालित करने हेतु मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रह्मणियन एंड कंपनी, कंपनी सेक्रेटरीज, ठाणे की सुश्री मालती कुमार (सीओपी सं. - 10890) या उनके न होने की स्थिति में सुश्री अश्विनी वार्तक (सीओपी सं. - 16723) की संवीक्षक के रूप में नियुक्ति की है।

कृपया पोस्टल बैलट फॉर्म की सूचना पर मुद्रित अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें और सभी प्रकार से विधिवत भरे हुए फॉर्म को संलग्न पता लिखित पोस्टेज प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में भिजवाएं ताकि यह **शनिवार, 23 नवम्बर 2019** को कार्य दिवस की समाप्ति अर्थात शाम 5.00 बजे तक संवीक्षक के पास निम्नलिखित पते पर पहुंच जाए :

संवीक्षक
सी/ओ कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,
प्लॉट नं. 31-32, गाचीबावली,
नानक्रमगुडा, सेरीलिंगमपल्ली
हैदराबाद - 500 032
तेलंगाना, भारत
ई मेल : raju.sv@karvy.com व einward.ris@karvy.com
फोन नं. 040 6716 2222 या 1800 345 4001 (टोल फ्री)

विशेष संकल्प पर वोटिंग के लिए बैंक ई - वोटिंग सुविधा भी उपलब्ध करवा रहा है। ई-वोटिंग सुविधा का चयन करने के लिए इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट की सूचना के नोट के अंतर्गत ई - वोटिंग उद्देश्य हेतु दिए गए अनुदेशों को पढ़ लें।

केनरा बैंक Canara Bank

HEAD OFFICE: 112 JC ROAD, BENGALURU, KARNATAKA-560002

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Shareholder(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of Canara Bank (hereinafter referred to as "the Bank") to pass the Special Resolutions by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. "E-Voting".

The proposed Special Resolutions and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof are annexed hereto.

The Bank has appointed Ms. Malati Kumar (COP no. 10980) or failing her Ms. Ashwini Vartak (COP no.16723) of M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope (Envelope) so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 5.00 p.m. on **Saturday, 23 November 2019** at the following address:

The Scrutinizer
C/o Karvy Fintech Private Limited
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31-32, Gachibowli,
Nanakramguda, Serilingampally
Hyderabad - 500 032
Telangana, India
E-mail: raju.sv@karvy.com & einward.ris@karvy.com
Phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for E-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given there under for e-Voting purpose.

पोस्टल बैलट और ई-वोटिंग की शुरुआत शुक्रवार, 25 अक्तूबर 2019 से होगी और शनिवार दिनांक 23 नवंबर, 2019 को समाप्त होगी।

पोस्टल बैलटों की संवीक्षा पूरी होने के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट बैंक के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (''एमडी'' व ''सीईओ'') या किसी अन्य निदेशक / अधिकारी, जैसा भी निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को प्रस्तुत करेंगे । पोस्टल बैलट के माध्यम से वोटिंग के परिणामों की घोषणा । दिनांक 25 नवंबर, 2019 को या उसके पहले बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com पर प्रदर्शित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा । परिणाम बैंक के रजिस्टार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (''आरटी'') कार्वी फिनटेक लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे ।

कार्यसूची मद संख्या 1 :

भारत सरकार को अधिमानी आधार पर शेयर जारी करना

इस पर विचार करने और उचित पाए जाने पर निम्नलिखित संकल्प को संशोधनों या बिना संशोधन के विशेष संकल्प के रूप में पारित करने हेतु :

''**संकल्प किया जाता है कि** बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 और केनरा बैंक (शेयर व बैठक), विनियमन, 2000 यथा संशोधित के अनुसरण में और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और / या कोई अन्य प्राधिकरण , इस सम्बंध में जैसी भी आवश्यकता हो, के अनुमोदन , सहमति, यदि कोई है, की अनुमति, सहमति, स्वीकृति, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे निबंधनों, शर्तों एवं आशोधनों के अधीन, जो इस अनुमोदन के संबंध में उनके द्वारा निर्धारित किया गया हो तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा जिसकी सहमति दी गई हो और सेबी (पूंजी का निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकता) विनियम 2018 (**सेबी आईसीडीआर विनियम**) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा सभी अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों तथा स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूचीकरण समझौते के अधीन शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल (आगे 'बोर्ड'' कहा जाएगा जिसमें कोई समिति, जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित की गई हो / गठित की जाए, भी सम्मिलित मानी जायेगी) को एतद्द्वारा विनियमन 164(1) सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2018 के अधीन ₹ 10/- (दस रुपये मात्र) मूल्य के शेयरों (प्रीमियम सहित) को अधिमानित आधार पर भारत सरकार को कुल 6,571 /- करोड़ रु. (छ: हज़ार पाँच सौ इकहत्तर करोड़ रुपये मात्र) में सृजित, ऑफर, निर्गम व आबंटित करने की सहमति प्रदत्त है और प्रदान की जाती है।

The Postal Ballot and e-voting will commence on **Friday, 25 October, 2019** and end on **Saturday, 23 November 2019.**

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director & Chief Executive Officer ("MD & CEO") or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the Voting by Postal Ballot will be announced on or before 25th November 2019 by displaying on the Website of the Bank, www.canarabank.com and will be intimated to the Stock Exchanges. The results will also be hosted on the website of Karvy Fintech Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank at www.evoting.karvy.com.

Agenda item no.1:

Issue of Equity Shares through Preferential Allotment to Government of India (GOI)

To consider and if thought fit pass with or without modification the following resolution as a Special Resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (the Act) and Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended from time to time (the Regulations) and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) as amended upto date and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot such number of equity shares of a 10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price (inclusive of premium) as determined by the Board in accordance with Regulation 164 (1) of SEBI (ICDR) Regulations, 2018, aggregating upto Rs. 6,571 crore (Rupees Six Thousand Five Hundred and Seventy One Crore only) on preferential basis to Government of India (President of India).

''यह भी संकल्प किया जाता है कि सेबी (आसीडीआर) विनियमन के विनियमन 161 के अध्याय V के अनुरूप मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य हेतु संबद्ध तारीख गुरुवार, 24 अक्तूबर 2019 है ।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को यह प्राधिकार या शक्ति होगी कि वह प्रस्ताव में किसी आशोधन को स्वीकार करे जो भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड / ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या किसी अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्गम, आबंटन एवं सूचीकरण के समय अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति या मंजूरी प्रदान करते समय पर अपेक्षित या अधिरोपित हों और जैसी बोर्ड द्वारा सहमति दी जाए।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमानित आधार पर जारी तथा आबंटित किए जाने वाले ये इक्विटी शेयर डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली के अध्याय V के तहत आवश्यक लॉक-इन आवश्यकताओं के अधीन होगें तथा लाभांश घोषणा सहित, यदि कोई हो, बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ सभी तरह से (लाभांश सहित) और स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

''यह भी संकल्प किया जाता है कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से, बोर्ड प्राधिकृत है व उसे एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह सभी कार्य, कृत्य,मामले चीजें करे जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार में आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं तथा इक्विटी शेयरों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी मामले, समस्या या संदेह के समाधान के लिए करे तथा आगे उसे वे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें करने, सभी दस्तावेजों एवं लेखन को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने के लिए ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले और चीजें करे जो आवश्यक, अपेक्षित या समीचीन हों जो उसके संपूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार उपयुक्त, उचित या अपेक्षित हो जिसके लिए शेयरधारकों से कोई और सहमति या अनुमोदन अपेक्षित नहीं है । बोर्ड समाप्ति और उस इरादे तक अधिकृत है जिसको शेयरधारकों की ओर से यह माना जाएगा कि उन्होंने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से उसको अपना अनुमोदन दिया हुआ है।''

''यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल अपने सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यपालक निदेशक / निदेशकों या ऐसे किसी अधिकारी / अधिकारियों को उक्त संकल्प लागू करने के लिए प्रत्यायोजित करने हेतु अधिकृत है तथा एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है ।''

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

आर.ए. शंकर

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: अक्तूबर 15, 2019

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date in terms of Regulation 161 under Chapter V of the SEBI (ICDR) Regulations for the purpose of determination of the Issue Price is **Thursday, 24 October 2019.**"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter V of the SEBI-ICDR Regulations and shall rank pari passu in all respects (including dividend) with the existing equity shares of the Bank and be listed on the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director (s) or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By Order of the Board of Directors

R A SANKARA NARAYANAN
Managing Director & CEO

Place : Bengaluru
Date : October 15, 2019

टिप्पणियां

1. प्रस्तावित संकल्प के लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों एवं कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है।

   जिन शेयरधारकों का ई-मेल पता बैंक / डिपॉजिटरी में पंजीकृत है, उन्हें पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ यह नोटिस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जब तक कि किसी शेयरधारक ने उक्त की भौतिक प्रति के लिए पंजीकरण न किया हो । जिन शेयरधारकों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है , उन्हें अनुमति प्राप्त माध्यम से भौतिक प्रतियां भेजी जा रही हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि पोस्टल बैलट की सूचना बैंक की वेबसाइट www.canarabank.com तथा बैंक रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट (''आरटीए'') कार्वी फिनटेक प्रा लि की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

2. वोट का अधिकार **शुक्रवार, 11 अक्तूबर , 2019** (''अंतिम तारीख'') को शेयरधारक के नाम से पंजीकृत इक्विटी शेयर के प्रदत्त मूल्य के अनुसार होगा । केवल वे शेयरधारक जिनके नाम अंतिम तारीख तक बैंक के शेयरहोल्डर्स के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं , पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे। जो व्यक्ति अंतिम तारीख तक शेयरधारक नहीं है, उसे इस पोस्टल बैलट के नोटिस को केवल सूचनार्थ मानना चाहिए।

3. बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2 ई) के अनुरूप केंद्र सरकार के अलावा विषयक बैंक के शेयरधारकों को उसके शेयर के संदर्भ में कुल वोटिंग अधिकार के 10 (दस) प्रतिशत से अधिक वोट डालने का अधिकार नहीं होगा । अधिनियम / मों , विनियमन / मों , योजना / ओं और विनियमन / मों के किसी भी संशोधन के मामले में जिसके परिणामस्वरूप इस नोटिस में रखी गई मौजूदा प्रक्रिया के किसी भी या हिस्से को बदल दिया जाएगा, संशोधन लागू होगा।

4. शेयरधारक पोस्टल बैलट अथवा ई-वोटिंग माध्यमों में से किसी एक का उपयोग वोटिंग के लिए कर सकते हैं। यदि कोई शेयर धारक दोनों माध्यमों से वोटिंग करते हैं, तो ई-वोटिंग को वैध माना जाएगा और भौतिक मतदान फार्म को अवैध माना जाएगा।

5. इसके अतिरिक्त जिन शेयरधारकों को ईमेल द्वारा पोस्टल बैलट का नोटिस मिला है और जो भौतिक पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से वोट करना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट [www.canarabank.com] (बैंक की वेबसाइट) से पोस्टल बैलट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या केनरा बैंक में कंपनी सचिव, एमडी और सीईओ सचिवालय, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट, 112, जेसी रोड, बेंगलूरु -560002 को लिखकर और विधिवत और हस्ताक्षरित पोस्टल बैलट फॉर्म को संवेक्षक को इस प्रकार से भेजें कि वह **शनिवार, 23 नवंबर**, 2019 को शाम 5 बजे (आईएसटी) तक पहुंच सकें।

6. यदि संकल्पों को अपेक्षित बहुमत से पारित किया जाता है तो उन्हें **शनिवार, 23 नवंबर, 2019** को पारित हुआ समझा जाएगा, जो कि विधिवत भरे गए

NOTES

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed Special Resolutions are annexed hereto.

   This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, www.canarabank.com and on the website of Karvy Fintech Private Limited at www.evoting.karvy.com.

2. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on **Friday, the October 11, 2019** ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a Shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.

3. In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.** In case of any amendments to the Act/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail

4. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e., either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.

5. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website [www.canarabank.com] (bank's website) or by writing to the Company Secretary at Canara Bank, MD & CEO's Secretariat, Secretarial Department,112, J C Road, Bengaluru-560002 and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 5.00 p.m. (IST) on **Saturday, 23 November, 2019.**

6. The Special Resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on **Saturday, 23,**

पोस्टल बैलट फॉर्म की प्राप्ति या ई - वोटिंग की बैंक द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि है ।

7. शेयरधारक पोस्टल बैलट पर अपना वोट प्रॉक्सी के माध्यम से नहीं डाल सकता है ।

8. पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से वोट डालने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट फॉर्म पर छपे हुए दिशानिर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उक्त फॉर्म को विधिवत भरने तथा हस्ताक्षर करने के बाद संवीक्षक को अपना पता लिखा प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे में डाक से भेज दें, ताकि वह संवीक्षक के पास **शनिवार, 23 नवंबर, 2019** को सायं 5.00 बजे तक पहुंच सके ।

9. डाक बैंक द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि, पोस्टल बैलट फॉर्म वाले लिफाफे, यदि कूरियर या पंजीकृत / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए हैं या शेयरधारक / कों के स्वयं के खर्चे पर स्वयं-संबोधित डाक पूर्व-भुगतान किए गए बिजनेस रिप्लाई लिफाफे पर दिए गए पते पर व्यक्तिगत रूप से जमा किए गए हैं, तो भी स्वीकार किए जाएंगे। अगर कोई पोस्टल बैलट फॉर्म **शनिवार, 23, नवंबर, 2019** को सायं 5.00 बजे (आईएसटी) के बाद प्राप्त होता है, तो यह माना जाएगा कि शेयरधारक / कों से कोई जवाब नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि डाक मतपत्रों को अमान्य माना जाएगा यदि :
   i. शेयरधारक / कों की सहमति या असहमति को बिना किसी संशय के तय करना संभव न हो, और / या
   ii. किसी सक्षम प्राधिकारी ने शेयरधारक / कों के वोट के अधिकार को रोकने के लिए बैंक को लिखित रूप में अनुदेश दिए हों ।
   iii. यह इस तरह से कटा - फटा हो कि इसे वास्तविक रूप में नहीं पहचाना जा सकता हो; और / या
   iv. शेयरधारक / कों ने इसके व्यवस्थित संकल्प में कोई संशोधन किया हो या अपना वोट डालते समय कोई शर्त रखी हो ; और / या
   v. फॉर्म में प्रस्तुत किया गया विवरण अधूरा या गलत हो ; और / या
   vi. पोस्टल बैलट फॉर्म पर हस्ताक्षर न किए गए हों या हस्ताक्षर का मिलान न हो रहा हो ; और / या
   vii. यदि बैंक द्वारा जारी किए गए पोस्टल बैलट फॉर्म के अलावा किसी अन्य का उपयोग किया जाता है।

10. ऐसे मामले में, एक शेयरधारक एक डुप्लिकेट पोस्टल बैलट फॉर्म प्राप्त करने के लिए इच्छुक है, सदस्य, कंपनी सचिव, केनरा बैंक को लिख सकता है। हालांकि, विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित डुप्लीकेट पोस्टल बैलट फॉर्म **शनिवार, 23, नवंबर, 2019** को शाम 5.00 बजे (आईएससटी) या उससे पहले संवीक्षक तक पहुँच जाना चाहिए।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग अनुक्रम संख्या (ईवीएसएन) 5110 है

11. ई - वोटिंग प्रक्रिया

1. ई-वोटिंग की प्रक्रिया और प्रणाली इस प्रकार होगी :

(ए) बैंक के उन शेयरधारकों को ई-वोटिंग के संबंध में निर्देश, जिनके डीमैट अकाउंट (खाते) / फोलियो नंबर (रों) कार्वी फिनटेक प्राइवेट

November, 2019 i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or E-Voting.

7. A shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.

8. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 5.00 p.m. (IST) on **Saturday, 23, November, 2019.**

9. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 5.00 p.m. (IST) on Saturday, **23, November, 2019,** it will be considered that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:
   i) it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/ or
   ii) a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
   iii) it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or
   iv) the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or
   v) the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or
   vi) Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or
   vii) if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.

10. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Postal Ballot Form, the Member may write to the Company Secretary, Canara Bank. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 5.00 p.m. (IST) on **Saturday, 23, November, 2019.**

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) is 5110

11. E-Voting Process:

1. The process and manner of e-Voting shall be as follows:

(A) Instructions in respect of e-Voting to the Shareholders of the Bank whose Demat Account(s)/Folio Number(s) has/have not been registered for e-Voting facility of

लिमिटेड की ई-वोटिंग सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं या जिनके पास कोई मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है :

i. ईमेल खोलें और फिर अपनी डीपी / ग्राहक आईडी या फोलियो नंबर के साथ ``Canara Bank e-Voting.pdf" नाम की पीडीएफ फाइल खोलें । उक्त पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड शामिल है। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है।

ii. URL - https://evoting.karvy.com टाइप करके इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें।

iii. शेयरधारक ''लॉग - इन'' पर क्लिक करें ।

iv. उपरोक्त चरण (i) में उल्लेखित प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

v. ''लॉग - इन'' पर क्लिक करें।

vi. पासवर्ड परिवर्तन मेनू आता है। न्यूनतम 8 (आठ) अंकों / वर्णों या संयोजन के साथ अपनी पसंद के नए पासवर्ड के साथ पासवर्ड बदलें। कृपया नए पासवर्ड पर ध्यान दें। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

vii. ''ई-वोटिंग'' का होम पेज दिखाई देता है। ''ई-वोटिंग'' पर क्लिक करें - सक्रिय वोटिंग चक्र।

viii. बैंक का ई-वोटिंग सम संख्या (ईवीएन) चुनें।

ix. अब आप ''ई-वोटिंग'' के लिए तैयार हैं क्योंकि 'कास्ट वोट' पेज खुलता है। वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2019 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होती है और शनिवार 23 नवंबर, 2019 को शाम 05:00 बजे समाप्त होती है।

x. पुष्टि होने पर, ''वोट सफलतापूर्वक डाला गया'' संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

xi. एक बार जब आपने कारोबार पर वोट दिया, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

xii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप), साथ ही साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित हस्ताक्षर हस्ताक्षरित/के साथ, जिन्हें वोट करने के लिए अधिकृत किया गया है, ईमेल के माध्यम से संवीक्षक को : evoting@karvy.com को कॉपी के साथ scrutinizer@snaco.net भेजने की आवश्यकता होती है।

(बी) बैंक के शेयरधारकों के लिए दूरस्थ ई-वोटिंग के संबंध में निर्देश जिनका डीमैट खाता / फोलियो नंबर पहले से ही कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग सुविधा के लिए पंजीकृत है / हैं :

i. URL - https://evoting.karvy.com टाइप करके इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें।

ii. शेयरधारक ''लॉग-इन'' पर क्लिक करें

iii. अपनी उपयोगकर्ता आईडी और मौजूदा पासवर्ड दर्ज करें (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध ''भूल गए

Karvy Fintech Private Limited and who do not have their existing User ID and Password:

i. Open Email and then open PDF File named "Canara Bank e-Voting.pdf" with your DP/Client ID or Folio Number as password. The said PDF File contains your User ID and Password for e-Voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch Internet Browser by typing the URL - https://evoting.karvy.com.

iii. Click on Shareholder "Login".

iv. Enter your User ID and Password as initial password noted in step (i) above.

v. Click "Login".

vi. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 (eight) digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vii. Home Page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

viii. Select e-Voting Event Number (EVEN) of the Bank.

ix. Now you are ready for "e-Voting" as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences from 09:00 AM on Friday, 25th October, 2019 and ends at 05:00 PM on Saturday, 23rd November 2019.

x. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

xi. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xii. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xiii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory/ies who are authorized to vote, to the Scrutinizer through Email: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com.

(B) Instructions in respect of remote e-Voting to the Shareholders of the Bank whose Demat Account(s)/Folio Number(s) has/have already been registered for e-Voting facility of Karvy Fintech Private Limtied:

i. Launch Internet Browser by typing the URL - https://evoting.karvy.com.

ii. Click on Shareholder "Login".

iii. Enter your User ID and existing Password (if you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User

उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड'' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं।

iv. ''लॉग - इन'' पर क्लिक करें ।

v. ''ई-वोटिंग'' का होम पेज दिखाई देता है। ''ई-वोटिंग'' पर क्लिक करें - सक्रिय वोटिंग चक्र।

vi. बैंक का ई-वोटिंग सम संख्या (ईवीएन) चुनें।

vii. अब आप ''ई-वोटिंग'' के लिए तैयार हैं क्योंकि 'कास्ट वोट' पेज खुलता है। वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 25 अक्टूबर, 2019 को सुबह 09:00 बजे से शुरू होती है और शनिवार 23 नवंबर, 2019 को शाम 05:00 बजे समाप्त होती है।

viii. उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें और संकेत दिए जाने पर ''सबमिट करें'' और ''पुष्टि करें'' पर क्लिक करें।

ix. पुष्टि होने पर, ''वोट सफलतापूर्वक डाला गया'' संदेश प्रदर्शित किया जाएगा ।

x. एक बार जब आपने कारोबार पर वोट दिया, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

xi. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र, आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप), साथ ही साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के सत्यापित हस्ताक्षर हस्ताक्षरित / के साथ, जिन्हें वोट करने के लिए अधिकृत किया गया है, ईमेल के माध्यम से संवीक्षक को: evoting@karvy.com को कॉपी के साथ scrutinizer@snaco.net भेजने की आवश्यकता होती है।

कृपया ध्यान दें :

1. 5 (पांच) असफल पासवर्ड डालने पर ई-वोटिंग वेबसाइट सही पासवर्ड लॉग इन के लिए अक्षम हो जाएगी । ऐसी स्थिति में, आपको इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'पासवर्ड भूल गए' विकल्प पर जाना होगा।
2. आपका लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड आपके द्वारा विशेष रूप से बैंक द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है जिसमें आप शेयरधारक हैं।
3. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और इसे गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें ।
4. यदि आपके पास दूरस्थ ई-वोटिंग के बारे में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप श्री एसवी राजू, उप महाप्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : केनरा बैंक, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31-32, गाचीबावली, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032, दूरभाष : 040 67162222/67161516, फैक्स : 040 23001153, टोल फ्री नं.: 18003454001 से संपर्क कर सकते हैं या raju.sv.karvy.com या einward.ris@karvy.com को ईमेल लिखें ।
5. संवीक्षक पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान के समापन के बाद, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी और सीईओ) या निदेशक मंडल या उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के रूप में बैंक के कार्यकारी निदेशकों में से किसी को भी एजेंडा आइटम में से प्रत्येक में निर्धारित विशेष प्रस्ताव के पक्ष में या के खिलाफ कुल वोटों पर एक संवीक्षक रिपोर्ट उसके प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेगा । पोस्टल बैलट फॉर्म की वैधता पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com.

iv. Click "Login".

v. Home Page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vi. Select e-Voting Event Number (EVEN) of the Bank.

vii. Now you are ready for "e-Voting" as "Cast Vote" page opens. Voting period commences from 09:00 AM on Friday, October 25, 2019 and ends at 05:00 PM on Saturday, November 23, 2019.

viii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

ix. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

x. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xi. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory/ies who are authorized to vote, to the Scrutinizer through Email: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com.

Please note that:

1. Login to e-Voting website will be disabled upon 5 (five) unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
2. Your Login Id and existing Password can be used by you exclusively for e-Voting on the Resolutions placed by the Bank in which you are the Shareholder.
3. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
4. In case, you have any queries or issues regarding remote e-Voting, you may contact Shri S V Raju, Deputy General Manager, Karvy Fintech Private Limited, Unit: Canara Bank, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032, Tel.: 040 67162222/67161516, Fax: 040 23001153, Toll Free No.: 18003454001 or write an email to raju.sv@karvy.com or einward.ris@karvy.com.
5. The Scrutinizer shall, after the conclusion of voting through Postal Ballot, make a Scrutinizer's Report on the total votes cast in favour or against the Special Resolution as set out in each of the Agenda Items, to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD&CEO) or any of the Executive Directors of the Bank as authorised by the Board of Directors or any other person authorised by him, who shall countersign the same. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final and binding.

सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 अध्याय V के अनुसार निर्मित होने वाले व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटीकरण ।

(क) अधिमानी निर्गम का उद्देश्य

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार के वित्त मंत्री के माध्यम से 30.08.2019 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें बताया गया कि सरकार केनरा बैंक सहित विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजीगत धन लगाने का प्रस्ताव रखती है। पूँजी लगाने की राशि का निर्धारण विभिन्न विकास मापदंडों और संबंधित बैंकों की पूँजी आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा।

भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित पूंजी लगाने की प्रत्याशा में तदनुसार, निदेशक मंडल ने 13.09.2019 को भारत सरकार को तरजीही आवंटन पर इक्विटी शेयर जारी करने का निर्णय लिया है और तदनुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, 2018 के तहत 9000 करोड़ रुपये तक के कुल मिलाकर प्रीमियम सहित भारत सरकार (''भारत सरकार '') को प्रत्येक निर्गम पर अधिमान्य आधार पर 10 रुपये (केवल दस रुपये) तथा विशेष संकल्प को जारी करने और अपेक्षित इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य को आवंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27.09.2019 और 30.09.2019 की अधिसूचना / संचार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान केनरा बैंक में इक्विटी शेयरों के पक्ष में आवंटन के पक्ष में 6571 करोड़ रुपये के लिए पूंजीगत प्रसार का अपना निर्णय दिया है। इसके अलावा बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक (''आरबीआई'') के साथ बनाए खाते में पहले ही 6,571 करोड़ रुपये (27.09.2019 को 1806 करोड़ रुपये और क्रमशः 4765 करोड़ 30.09.2019) प्राप्त हुए हैं।

जुटाई गई पूंजी का उपयोग पूंजी की पर्याप्तता में सुधार करने और बैंक की सामान्य व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

पूरे निर्गम को भारत सरकार (''भारत सरकार''), बैंक के प्रवर्तक द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा ।

(बी) जारी की जाने वाली निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या :

विशेष प्रस्ताव को पोस्टल बैलट की अंतिम तिथि यानी शनिवार, 23 नवंबर 2019 को पारित माना जाएगा। सेबी के नियम 161 (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 के लिए प्रासंगिक तारीख गुरुवार, 24 अक्टूबर 2019 है और निर्गम मूल्य की गणना सेबी के विनियमन 164

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter V SEBI (ICDR) Regulations, 2018.

a) **Objects of the Preferential Issue**

The Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance (MoF), Government of India through Finance Minister made a press release on 30.08.2019 informing that the Government proposes to infuse capital funds in various public sector Banks including Canara Bank. The amount of Capital infusion will be determined on the basis of various growth parameters and capital requirements of the respective banks.

Accordingly in anticipation of the proposed capital infusion by GOI, the Board of Directors have on 13.09.2019 decided to issue equity shares on preferential allotment to GOI and accordingly recommended passing the Special Resolution to issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs 10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") on preferential basis at such issue price including premium as determined under with SEBI(ICDR) Regulations,2018 aggregating upto Rs 9000 Crores.

Ministry of Finance, Government of India vide notification/communication dated 27.09.2019 & 30.09.2019 has conveyed their decision of capital infusion aggregating to Rs 6571 crore in Canara Bank during the current financial year by way of preferential allotment of equity shares in favour of the Government of India. Further the Bank has already received an amount of Rs. 6,571 Crores (Rs 1,806 Crores on 27.09.2019 and Rs 4,765 Crores on 30.09.2019 respectively) in the account maintained with the Reserve Bank of India ("RBI").

The capital raised would be utilized to improve the capital adequacy and to fund general business needs of the Bank.

The entire issue will be subscribed by the Government of India ("GOI"), the Promoter of the Bank

b) **Maximum number of specified securities to be issued:**

The Special Resolution shall be deemed to be passed on the last date of Postal Ballot i.e., Saturday, 23 November 2019. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is Thursday, 24 October 2019 and the Issue Price will be calculated in

(पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2018 के अनुसार की जाएगी । भारत सरकार (''भारत सरकार'') को आवंटित निर्गम मूल्य और जारी की जाने वाली शेयरों की संख्या प्रासंगिक तिथि के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाएगी ।

(सी) प्रस्ताव को सब्सक्राइब करने हेतु जारीकर्ता के प्रवर्तक, निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रयोजन :

बैंक में भारत सरकार (''भारत सरकार'') की हिस्सेदारी 70.62% है और प्रस्तावित अधिमानी निर्गम भी भारत सरकार को किया जाना है। किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को भारत सरकार को छोड़कर प्रस्ताव की सदस्यता लेने का इरादा नहीं है।

(डी) निर्गम के पूर्व और बाद में शेयरधारिता पैटर्न

क्रम संख्या	श्रेणी	निर्गम के पूर्व (30 सितंबर, 2019 तक)	
		शेयर की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
ए	प्रवर्तक धारिता (भारत सरकार)	53,19,44,775	70.62
बी	गैर प्रवर्तक धारिता	22,13,00,000	29.38
	कुल	75,32,44,775	100.00

बैंक का पूर्वोक्त शेयरधारिता पैटर्न भारत सरकार (''भारत सरकार'') को प्रस्तावित अधिमान्य मुद्दे से पहले है, क्योंकि निर्गम मूल्य के निर्धारण के बाद भारत सरकार को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या के बाद ही पता लगाया जाएगा अर्थात प्रासंगिक तिथि अर्थात 24 अक्तूबर 2019 । भारत सरकार को आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या और निर्गम के बाद शेयरधारिता पैटर्न, निर्गम मूल्य के निर्धारण के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित की जाएगी।

(ई) समय सीमा जिसमें अधिमानी निर्गम पूर्ण हो जाएगा

विशेष संकल्प के आवंटन का पालन विशेष प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, बशर्ते कि आवंटन के लिए सेबी या केंद्र सरकार जैसे किसी भी नियामक प्राधिकरण द्वारा कोई अनुमोदन या अनुमति लंबित नहीं है, 15 की अवधि (पंद्रह) दिनों को इस तरह के आवेदन पर आदेश की तारीख या अनुमोदन या अनुमति की तारीख, जैसा भी मामला हो , से गिना जाएगा ।

accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India ("GOI") shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

c) Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer:

Government of India ("GOI") shareholding in the Bank is 70.62 % and the proposed preferential issue is also to be made to the GOI. None of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe the offer except the GOI.

d) Shareholding Pattern before and after the issue

Sl. No	Category	Before the issue (As on September 30, 2019)	
		No. of shares held	Percentage of shareholding
A	Promoter's Holding (Government of India)	53,19,44,775	70.62
B	Non-Promoter Holding	22,13,00,000	29.38
	Total	75,32,44,775	100.00

The aforesaid shareholding pattern of the Bank is before the proposed preferential issue to the Government of India ("GOI") as requisite number of Equity Shares to be allotted to the GOI shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e., 24 October 2019. The number of equity shares to be allotted to GOI and the Post Issue Shareholding Pattern will be informed to the Stock Exchanges after the determination of the Issue Price.

e) Time frame within which the preferential issue shall be completed:

The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of the Special Resolution provided that any approval or permission by any Regulatory Authority like SEBI or the Central Government for allotment is not pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

(एफ) प्राकृतिक व्यक्तियों की पहचान जिन्हें प्रस्तावित शेयर आवंटित किया जाना है, जो इसके अंतिम लाभार्थी / स्वामी हैं और जो प्रस्तावित आवंटितियों पर अंतिम नियंत्रण रखेंगे, उनके द्वारा रखी जाने वाली उत्तरवर्ती अधिमानी निर्गम - पूंजी का प्रतिशत एवं जारीकर्ता के नियंत्रण में परिवर्तन , यदि कोई हो तो अधिमानी निर्गम पर इसका परिणाम :

बैंक का अंतिम लाभकारी स्वामी भारत सरकार है और इसलिए प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान प्रदान नहीं की जा सकती है।

जैसा कि पूरे निर्गम को भारत सरकार (''भारत सरकार '') को बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रमोटर के रूप में बनाया जाना है, इस निर्गम के बाद नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा।

f) Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

The ultimate beneficial owner of the Bank is Government of India and hence identity of natural person cannot be provided.

As the entire issue is to be made to the Government of India ("GOI"), the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

(जी) वचनपत्र, कि जारीकर्ता इन विनियमों के प्रावधान के अंतर्गत जहां आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनर्गणना करेगा :

चूंकि बैंक की इक्विटी शेयरों को संबंधित तारीख से पहले 26 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए बैंक को प्रति शेयर मूल्य की पुन: गणना करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए बैंक को आईसीडीआर विनियम के विनियम 163 के तहत वचनपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

g) Undertaking that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so:

Since the Equity Shares of the Bank have been listed on recognized stock exchanges for a period of more than 26 weeks prior to the relevant date, the Bank is not required to re-compute the price per equity share and therefore the Bank is not required to submit the undertaking specified under Regulations 163 of the ICDR Regulations.

(एच) जैसा कि सभी शेयरों को भारत सरकार (''भारत सरकार'') को जारी किया जाना है, इसलिए सेबी (पूंजी - निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 की अनुसूची VI में विनिर्दिष्ट प्रकटन के अनुसार लागू नहीं हैं।

h) As all the shares are to be issued to Government of India ("GOI") the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable.

(आई) अंतरणीयता पर लॉक - इन एवं प्रतिबंध

1. भारत सरकार (''भारत सरकार'') को आवंटित इक्विटी शेयर व्यापार करने की अनुमोदन की तारीख से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए लॉक-इन होंगे ।

   बशर्ते कि जारीकर्ता की कुल पूंजी का 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक व्यापार अनुमोदन की तारीख से 3 (तीन) वर्षों के लिए लॉक-इन नहीं होगा ।

   बशर्ते कि 20 से अधिक (बीस) प्रतिशत से अधिक के शेयर आवंटित किए गए हों, विकल्प की कवायद के अनुसार व्यापार अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिए या अन्यथा, जैसा भी मामला हो, लॉक-इन किया जाएगा ।

2. आवंटियों की पूरी पूर्व-तरजीही आवंटन हिस्सेदारी, यदि कोई हो, तो व्यापार अनुमोदन की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि तक प्रासंगिक तिथि से लॉक-इन होगी।

i) Lock-in and Restrictions on Transferability:

1. The Equity Shares allotted to the Government of India ("GOI") shall be locked-in for a period of 3 (three) years from the date of trading approval granted to the Equity Shares.

   Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the issuer shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

   Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

2. The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottees, if any, shall be locked-in from the Relevant Date up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval.

(जे) लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र :

बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों का एक प्रमाण पत्र, यह प्रमाणित करने के लिए बनाया जा रहा है, बैंक के वेबसाइट / प्रधान कार्यालय, बेंगलूरु में डाक मतपत्र के परिणामों की घोषणा की तारीख तक प्रस्तावित अधिमान्ये मुद्दे पर सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 की आवश्यकताओं के अनुसार विचार करने के लिए उपलब्ध होगा ।

(के) अन्य आवश्यकताएं

I. भारत सरकार (''भारत सरकार'') द्वारा रखे गए सभी शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में हैं और बैंक इक्विटी शेयरों की निरंतर लिस्टिंग की शर्तों का पालन कर रहा है, जैसा कि स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए गए लिस्टिंग करार में निर्दिष्ट है जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।

II. बैंक के किसी भी निदेशक की पहचान इरादतन चूककर्ता के रूप में नहीं की गई है।

III. बैंक के किसी भी निदेशक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

सेबी [सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर)] विनियम, 2015 तथा सेबी [पूंजी - निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं (आईसीडीआर)] विनियम, 2018 के अनुसार पूर्वोक्त एजेंडा के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है ।

आपके निदेशक पोस्टल बैलट की सूचना के एजेंडा मद संख्या 1 में निर्धारित विशेष संकल्प की सिफारिश करते हैं।

बैंक के किसी भी निदेशक / प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति, उक्त संकल्प के सम्बंध में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, को छोड़कर कोई हित या सम्बंध नहीं रखते हैं ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

आर ए शंकर नारायणन
प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : बेंगलूरु
दिनांक: अक्तूबर 15, 2019

j) Auditor's Certificate:

A Certificate of the Statutory Auditors of the Bank shall be available at the Bank's Website / Head Office, Bengaluru till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue, for certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

k) Other Requirements

a) All the Shares held by the Government of India ("GOI") are in Dematerialized mode and the Bank is following the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

b) None of the Directors of the Bank have been identified as a willful defaulter.

c) None of the Directors of the Bank have been declared as a fugitive economic offender.

Pursuant to the SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements ("LODR")] Regulations, 2015 and SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.

Your Directors recommend the Special Resolution as set out in Agenda Item No. 1 of the Notice of Postal Ballot.

None of the Directors / Key Managerial Personnel of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

By Order of the Board of Directors

R A SANKARA NARAYANAN
Managing Director & CEO

Place : Bengaluru
Date : October 15, 2019

हरित पहल - शेयर धारकों से अपील

नोटिसें/ वार्षिक रिपोर्टें तथा अन्य पत्राचार ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना

डीमेट खातों में शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे अपने डीमेट खातों में ई-मेल आईडी दर्ज करें।

भौतिक रूप से शेयर रखनेवाले शेयर धारकों से अनुरोध है कि वे: इस पत्र के नीचे दिए गए भाग को भरकर तथा उस पर हस्ताक्षर करके उसे हमारे रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण प्रतिनिधि के पास नीचे लिखे पते पर भिजवा दें :

सी/ओ कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लाट क्र. 31 व 32, गाचीबॉवली,
नानाक्रामगुडा, सैरीलिंगम्पल्ली,
हैदराबाद - 500 032
तेलंगाना, भारत
ईमेल : einward.ris@karvy.com
दूरभाष संख्या 040 6716 2222 अथवा 1800 345 4001 (टोल फ्री).

केनरा बैंक की हरित पहल

दिनांक :

सेवा में :
सी/ओ कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
कार्वी सेलेनियम टावर बी,
प्लाट क्र. 31 व 32, गाचीबॉवली,
नानाक्रामगुडा, सैरीलिंगम्पल्ली,
हैदराबाद - 500 032
तेलंगाना, भारत
ईमेल : einward.ris@karvy.com
दूरभाष संख्या 040 6716 2222 अथवा 1800 345 4001 (टोल फ्री).

प्रिय महोदय,

मैं/हम ______________________________ केनरा बैंक कारपोरेट गवर्नेंस के पर्यावरण सुरक्षा(हरित पहल) उपायों के एक प्रयास के रूप में केनरा बैंक से सभी संदेश अपने नीचे दिए गए ई मेल आइडी के माध्यम से प्राप्त करना चाहता हूं/ चाहते हैं। मेरे/हमारे पास बैंक के ______________________________ शेयर भौतिक रूप में हैं।

फोलियो नंबर : ______________________________

ई मेल आइडी : ______________________________ @ ______________________________

मोबाइल नंबर : ______________________________

मैं/ हम इस आशय का वचन देता हूं/ देते हैं कि मेरे/हमारे ई मेल के माध्यम से प्राप्त संदेश को सही, विधिक तथा केनरा बैंक द्वारा हमें भेजे गए दस्तावेजों की समुचित एवं पर्याप्त सुपुर्दगी माना जाएगा। मैं/ हम यह भी वचन देता हूं/ देते हैं कि यदि किसी तकनीकी/ अन्य कारणों से मेरा/ हमारा ई मेल हमें सही रूप में प्राप्त न होने के कारण संदेश प्राप्त नहीं हो पाता है तो हम केनरा बैंक, इसके किसी कर्मचारी, रजिस्ट्रार अथवा इसके कर्मचारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरायेंगे।

____

प्रथम / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

GREEN INITIATIVE - APPEAL TO SHAREHOLDERS

TO GET NOTICES / ANNUAL REPORTS & OTHER COMMUNICATION THROUGH E-MAIL

Shareholders holding Shares in Demat Accounts are requested to Register their email ID in their Demat A/c

Shareholders holding Shares in Physical form are requested to: Send their consent by filling up and signing the perforated portion of this communication to our Registrar & Share Transfer Agent at their address given hereunder:

C/o Karvy Fintech Private Limited
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31-32, Gachibowli,
Nanakramguda, Serilingampally
Hyderabad - 500 032
Telangana, India
E-mail: einward.ris@karvy.com
Phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

GREEN INITIATIVE OF CANARA BANK

Date:

To,
C/o Karvy Fintech Private Limited
Unit: Canara Bank
Karvy Selenium Tower B,
Plot No. 31-32, Gachibowli,
Nanakramguda, Serilingampally
Hyderabad - 500 032
Telangana, India
E-mail: einward.ris@karvy.com
Phone no. 040 6716 2222 OR at 1800 345 4001 (toll free).

Dear Sir,

I/We ______________________________ **holding** __________ shares of Canara Bank in physical form, intend to receive all communication from Canara Bank through our email ID given hereunder, as a part of Green Initiative under Corporate Governance of Canara Bank.

Folio Number ______________________________

Email ______________________________@______________

Mobile Number ______________________________

I/We also undertake that the communication received through my/our email id will be treated as proper, legal and sufficient delivery of documents sent to us by Canara Bank. I/We further undertake that we would not hold Canara Bank, any of its employees, Registrar or its employees; responsible in case of communication is not properly received at my/our email ID due to any technical/other failures.

____

Signature of the First/Sole Shareholder

केनरा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank
(A Government of India Undertaking)
Together We Can

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम)

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

प्रधान कार्यालय112, जे.सी. रोड बेंगलूरु - 560 002

H.O., 112, J. C. ROAD, BENGALURU-560 002

पोस्टल बैलट फॉर्म / **POSTAL BALLOT FORM**

(कृपया इस फ़ॉर्म को पूरा करने से पहले पीछे मुद्रित किए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

(Please read the instructions printed overleaf carefully before completing this form)

संदर्भ./ Ref.:

1. प्रथम/ एकल शेयरधारक का नाम :
   Name of the Sole/First Shareholder
2. प्रथम/ एकल शेयरधारक का पंजीकृत पता :
   Registered Address of the Sole/First Shareholder
3. संयुक्त शेयरधारक (कों), यदि कोई हों, के नाम :
   Name(s) of Joint Shareholder(s), if any
4. पंजीकृत फोलियो नंबर/ डीपी -क्लाइंट आइडी :
   Registered Folio Number/DP-Client ID
5. धारित शेयर(रों) की संख्या :
   Number of Shares held

मैं / हम, डाक मतपत्र के द्वारा पारित किए जाने वाले विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपना मत देते है जो कि बैंक के दिनांक 15/10/2019 के डाक मतपत्र नोटिस में उल्लिखित व्यवसायों के लिए है तथा इस संबंध में मैं/हम कथित प्रस्तावों के बारे में अपनी सहमति या असहमति नीचे दिए गए उचित कॉलम में (✓)चिन्ह लगाकर करता / करती हूं/करते हैं:

I/We hereby exercise my/our vote in respect of the Special Resolutions to be passed through Postal Ballot for the businesses stated in the Notice of Postal Ballot dated 15/10/2019 of the Bank by conveying my/our assent or dissent to the said Resolutions by placing the tick (✓) mark at the appropriate -column below:

क्रम सं **Item No.**	विवरण **Description**	शेयरों की संख्या, जिनके लिए वोट डाले गए **No. of Shares for which votes cast**	प्रस्तावों के लिए मेरी / हमारी सहमति (पक्ष में) **I/We assent to the Resolution (FOR)**	प्रस्तावों के लिए मेरी / हमारी असहमति (विपक्ष में) **I/We dissent to the Resolution (AGAINST)**
1.	सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2018 के विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया गया निर्गम मूल्य पर नकदी के लिए प्रीमियम के अधिमान्य आधार पर रुपए 6571 करोड़(छः हजार पांच सौ इकहत्तर करोड़) एकत्र करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) को प्रत्येक रुपए 10/- (रुपए दस) के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों' के अपेक्षित शेयरों की संख्या उपलब्ध करने, प्रस्ताव देने, जारी और आबंटित करने के लिए **to create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of Rs 10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") aggregating to Rs 6,571 Crore (Rupees Six Thousand Five Hundred Seventy one Crore only) on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time.**			

स्थान :
Place :
दिनांक :
Date :

____

(शेयरधारक के हस्ताक्षर)
(Signature of Shareholder)

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए कृपया संलग्न नोटिस में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें। संवीक्षक द्वारा पोस् फॉर्म प्रा करने की अंतिम तिथि शनिवार 23 नवंबर 2019, सायं 5 बजे तक है ।

For Electronic Voting please refer the instructions in the Notice attached herewith. Last date for Receipt of Postal Ballot Form by the Scrutinizer Saturday, 23rd November 2019, 05:00 PM.

ईवीएसएन/ (ई-वोटिंग इ नंबर) **EVEN** **(E-Voting Event Number)**	यूज़र आईडी **USER ID**	पासवर्ड / पिन **Password / PIN**

निर्देश

INSTRUCTIONS

1. यदि कोई शेयरधारक अपना मतदान डाक मतपत्र द्वारा करना चाहता है तो वह डाक मतदान फॉर्म भरकर संवीक्षक के पास संलग्न स्व-पता लिखित पूर्व प्रदत्त डाकव्यय वाले लिफाफे में भेजें। यदि डाक मतपत्र वाले लिफाफे को प्राप्तकर्ता के पास व्यक्तिगत रूप से लाया जाता है या कूरियर द्वारा भेजा जाता है तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा।

   A Shareholder desiring to exercise vote by Postal Ballot may complete this Postal Ballot Form and send it to the Scrutinizer in the enclosed self-addressed postage pre-paid envelope. Envelopes containing Postal Ballots, if deposited in person or sent by courier at the expense of the Member will also be accepted.

2. यह फॉर्म सही ढंग से भरा एवं शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए (बैंक/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) । यदि संयुक्त धारक है तो यह फॉर्म प्रथम नाम वाले सदस्य द्वारा भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा उसकी अनुपस्थिति में दूसरे नाम वाले सदस्य द्वारा।

   This Form should be completed and signed by the Shareholder (as per the specimen signature registered with the Bank/ Depository Participants). In case of joint holding, this Form should be completed and signed by the first named Member and in his absence, by the next named Member.

3. यदि शेयरधारक कंपनी, ट्रस्ट, सोसायटी आदि हैं तो सही प्रकार से भरे हुए डाक मतदान फॉर्म के साथ बोर्ड प्रस्ताव/ प्राधिकृत किए जाने की प्रति संलग्न होनी चाहिए। यदि फॉर्म भारत सरकार के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना है तो डाक मतदान फॉर्म के साथ नामांकन की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए।

   In case of shares held by companies, trusts, societies etc., the duly completed Postal Ballot Form should be accompanied by a certified true copy of Board Resolution/Authorisation. Where the form has been signed by a representative of the President of India or of the Governor of a State, a certified copy of the nomination should be attached with the Postal Ballot Form.

4. यदि अपनी सहमति दर्ज करनी है तो निर्धारित 'पक्ष'' कॉलम में तथा असहमति दर्ज करनी हो तो 'विपक्ष' कॉलम में ही (✓) चिह्न लगाया जाना चाहिए।

   The consent must be accorded by recording the assent in the Column 'FOR' and dissent in the column 'AGAINST' by placing a tick mark (✓) in the appropriate column.

5. अहस्ताक्षरित, अपूर्ण या दोषपूर्ण डाक मतदान फॉर्म अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

   Unsigned, incomplete or defective Postal Ballot Forms are liable to be rejected.

6. यह आवश्यक नहीं कि कोई शेयरधारक अपने सभी मतों का प्रयोग करे अथवा सभी मत एक ही तरीके से करे।

   A Shareholder need not use all the votes nor needs to cast all the votes in the same way.

7. पूर्ण रूप से भरे हुए डाक मतदान फॉर्म संवीक्षक के पास अंतिम तिथि अर्थात, शनिवार दिनांक 23 नवंबर, 2019 को कार्यालय समय अर्थात, सायं 5.00 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। इस अंतिम तिथि के बाद प्राप्त ऐसे सदस्यों के डाक मतदान फॉर्मों के बारे में ऐसा मान लिया जाएगा कि वे प्राप्त नहीं हुए है।

   Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the close of working hours i.e 5.00 P.M., on Saturday, November 23, 2019. All Postal Ballot Forms received after this date will be treated as if reply from such Member has not been received.

8. यदि आवश्यकता हुई तो कोई शेयरधारक डाक मतदान फॉर्म की दूसरी प्रति के लिए अनुरोध कर सकता है। तथापि, विधिवत भरे हुए डाक मतदान फॉर्म की दूसरी प्रति मद संख्या 7 में निर्धारित अंतिम तिथि तक संवीक्षक के पास पहुंच जानी चाहिए।

   A Shareholder may request for a duplicate Postal Ballot Form, if so required. However, the duly filled in duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than the date specified at item No. 7 above.

9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि स्व-पता लिखित पूर्व प्रदत्त डाकव्यय वाले लिफाफे में डाक मतदान फॉर्म के साथ अन्य किसी प्रकार के कागजात संलग्न न करें।

   Shareholders are requested not to send any other paper along with the Postal Ballot Form in the enclosed postage pre-paid self-addressed envelope.

10. निर्दिष्ट तारीख यानी, शुक्रवार, दिनांक 11, अक्टूबर, 2019 की स्थिति में शेयरधारकों के नाम पर पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य अनुसार ही मतदान अधिकार तय किया जाएगा।

    Voting rights shall be reckoned on the paid up value of the shares registered in the name of the Shareholders on the cut off date i.e. Friday, October 11, 2019.

11. डाक मतदान फॉर्म की वैधता के बारे में संवीक्षक का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

    The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final.

12. डाक मतपत्र द्वारा किए गए मतदान का परिणाम सोमवार, दिनांक 25 नवंबर, 2019 तक घोषित कर दिया जाएगा तथा इसे बैंक के वेबसाइट www.canarabank.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सूचना स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएगी। परिणाम बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("आरटीए") कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, की वेबसाइट www.evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

    The result of the voting by Postal Ballot will be announced on or before Monday, 25th November 2019 by displaying on the Website of the Bank, www.canarabank.com and will be intimated to the Stock Exchanges. The results will also be hosted on the website of Karvy Fintech Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank at www.evoting.karvy.com.

13. **ई-वोटिंग**: सेबी (सूचीकरण देयताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 44 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा इसमें लिखित नियमों के अनुपालन में ई-मतदान के तहत बैंक(कार्वी के ई-मतदान प्लेटफार्म के माध्यम से) विकल्प के रूप में शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की ई-मतदान सुविधा सहर्ष प्रदान करता है जिससे उन्हें भौतिक रूप से मतदान फॉर्म भेजना न पड़े। यह नोट करें कि यदि शेयरधारक ई-मतदान सुविधा के माध्यम से मतदान का चयन करता है तो उसे भौतिक रूप से मतदान फॉर्म भेजने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई शेयरधारक(कों) दोनों माध्यमों से मतदान करते हैं यानी, ई-मतदान और भौतिक मतदान फॉर्म दोनों से, तो ई-मतदान को वैध माना जाएगा और शेयरधारक द्वारा प्रस्तुत भौतिक मतदान फॉर्म को अवैध माना जाएगा। शेयरधारकों से अनुरोध है कि ई-मतदान के संबंध में दिए गए विस्तृत निर्देशों के लिए नोटिस और उसमें दी गई टिप्पणियों का संदर्भ लें।

    E-VOTING: in compliance with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereto, the Bank is pleased to provide E-voting facility (through e-voting platform of Karvy) as an alternate which would enable the Shareholders to cast votes electronically, instead of sending Physical Ballot Form. Please note that E- voting is optional. In case a Shareholder has voted through E-voting facility, he/she is not required to send the Physical Ballot Form. In case Shareholder(s) cast their votes via both modes i.e., Physical Ballot as well as E-voting, then voting done through E-voting shall prevail and Physical Voting of that shareholder shall be treated as invalid. Shareholders are requested to refer to the Notice and notes there to, for detailed instructions with respect to e-Voting.